न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 20/20 **सन् 2020**

GCMS NO-2020/00034

बउनवानीः–1. अजय पुत्र स्व. रामखिलाडी बैरवा निवासी त्रिलोक नगर, वार्ड नम्बर–33 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

2 अजय पुत्र स्व. रामखिलाडी बैरवा निवासी त्रिलोक नगर, वार्ड नम्बर–33 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्रीमति संतारा पत्नि स्व. रामखिलाडी बैरवा निवासी त्रिलोक नगर, वार्ड नम्बर–33 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने मिसल संख्या 06/2019 निर्णय दिनांक 23.12.2019 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थितः– 1. श्री धमेन्द्र कुमार सिंघानिया — वकील अपीलान्टगण

2. श्री घनश्याम जाट — वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– **दिनांक 17.2.2021**

अपील अपीलान्ट ने उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 06/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही प्रकार से विवेचन नही किया है। अपीलान्ट मजदूरी पेशा व्यक्ति है ओर मजदूरी करके अपने परिवार का पालना पोषण करते है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1000/– 1000/–रू प्रति माह हमारी मॉ रेस्पो. को खर्चा दिये जाने के आदेश पारित किये है जबकि हम अपीलान्ट की आय इतनी नही है। रेस्पो. के पास आय के स्त्रोत के रूप मे प्रतिमाह 1000/–रूपये सरकार से पेंशन मिलती है और बी.पी.एल. श्रेणी मे होने के कारण 1/रू प्रति किलो प्रतिमाह 45 किलोग्राम गेंहूँ भी मिलता है जिससे वह अपना गुजारा चलाने मे पूर्णतय सक्षम है। इसके अतिरिक्त रेस्पो. के पास अपने पति द्वारा क्रयशुद्वा एक प्लाट ओर है जिससे रेस्पो. ने अपनी पुत्री व दामाद को किराये पर रख रखा है जिसका किराया 2000/–रू प्रतिमाह रेस्पो. को प्राप्त होता है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी मॉ संतरा को कभी भी घर से नही निकाला ना ही जायदाद के कागज वगै. निकाले है बल्कि रेस्पो. खुद अपने पुत्र अजय व धर्मवीर के पास रहना चाहती है जबरदस्ती एक–एक ह[illegible] चाहती है जिसका कोई महत्व नही है क्योकि अपीलान्ट अपनी मॉ को अपने पास रख[illegible]ने के लिए तैयार है। उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्याया[illegible] का आदेश दिया गया है जबकि अपीलान्ट 500/– 500/– [illegible] है। इसलिए अपील[illegible]पीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज करते हुए 1000/–रू के स्थान पर 500/–रू [illegible] बतौर खर्चा अपीलान्ट से रेस्पो. को दिलवाने के आदेश प्रदान किये [illegible]ने बाबत वकील अपील[illegible] निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:41:39 IST
Reason: SelfAttested

Gu.

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभय पक्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 के पति के निधन के बाद उसके चार पुत्रो द्वारा उसके साथ मारपीट कर प्रार्थिया के पति के त्रिलोक नगर स्थित मकान में से निकाल दिया गया है प्रार्थीया इस मकान के हॉल में रहती थी जिसमे रखे हुए बक्से मे से जेवर, रूपये तथा जायदाद के कागजो को निकाल लिया गया है प्रार्थीया अब अपनी पुत्री व दामाद के साथ रहकर बडी मुश्किल से जीवन यापन कर रही है। प्रार्थीया का पुत्र धर्मवीर ई–मित्र व कोचिंग का कार्य कर 6 लाख रूपये वार्षिक आय अर्जित करता है तथा प्रार्थीया के अन्य पुत्र अजय व बृजलाल मिस्त्री का कार्य कर दो लाख रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे है तथा पुत्र विक्रम की वार्षिक आय भी 1.5 लाख रूपये वार्षिक है। इस प्रकार प्रार्थीया के चारो पुत्र मिलाकर लगभग 11.5 लाख रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे है तो उनके लिए 1000/–रू 1000/–रू मुझे बतौर गुजारा भत्ता देना उनकी आय के हिसाब से अधिक नही है। क्योकि उक्त आय पर अधिकतम 10000/–रू प्रतिमाह तक दिये जा सकते है मुझे तो मात्र 4000/–रू दिये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसमे भी अपीलान्टगण को आपत्ति हो रही है। प्रार्थीया को मिलने वाला गेंहूँ भी प्रार्थीया पुत्र निकाल लेता है। उक्त अपील केवल दो पुत्रो द्वारा की गयी है अन्य दो पुत्र प्रार्थीया को न्यायालय के आदेश अनुसार राशि अदा कर रहे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभय पक्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पो. को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है तथा रेस्पो. को 45 किलोग्राम गेंहूँ व मासिक पेंशन मिलने के आधार पर अपीलान्टगण अपनी मॉ संतरा के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त नही हो सकते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के भरण पोषण हेतु बहुत ही सामान्य राशि 1000/–रू प्रति पुत्र के हिसाब से कुल 4000/– प्रतिमाह निर्धारित की गयी है इससे कम राशि भरण पोषण हेतु दिया जाना न्याय संगत नही है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:41:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर